संख्या- 35/2018/ 550/78-1-2018-97आई.टी./2017

प्रेषक,

अन्द्रा वामसी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊः दिनांकः 08 मई, 2018**

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आई0टी0 हब/आई0टी0 पार्क की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स (यूपीडीपीएल) की 40 एकड भूमि के मूल्य का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में ''4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-10 साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना-24-बृहत निर्माण कार्य'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड मात्र) में से 2282.80 लाख (रूपये बाइस करोड बयासी लाख अस्सी हजार मात्र) का वहन करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

((1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उनके द्वारा कोषागार से ई-भुगतान के माध्यम से धनराशि आहरित कर यूपीडीपीएल को उपलब्ध करायी जायेगी। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण तात्कालीन आवश्यकता एवं एम0ओ0यू0 की शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रशासकीय विभाग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च , 2018 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय–समय पर की जायेगी।

(8) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में पूंजीलेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्षक 4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-02-इलेक्ट्रानिक-800-अन्य निवेश-10-साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क की स्थापना-24 बृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अ0शा0प0सं0-ई-6-339/दस-2018, दिनांक 03-5-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अन्द्रा वामसी)
विशेष सचिव।

संख्या- 35/2018/ 550(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबद।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई.टी एवं इले. अनु-2/चिकित्सा अनुभाग-1
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।